रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 1984/भाद्र 23, 1906
No. 132] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 1984/BHADRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार निदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 33-ईटीसी (पीएन)/84

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1984

विषय :—चन्दन की लकड़ी से बने चिप्स और हस्तशिल्प का निर्यात ।

मि. सं. 6/10/84-ई-1.—अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 की आयात-निर्यात नीति, जिल्द-2 के अनुबंध-2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें लकड़ी और इमारती लकड़ी की निर्यात नीति उल्लिखित है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि चंदन की लकड़ी से बने हस्तशिल्प के निर्यात के मामले में निर्यातक को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा कि चन्दन की लकड़ी से बने हस्तशिल्प का जोड़ा हुआ मूल्य, समय-समय पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा चंदन की लकड़ी के प्रति मी. टन के घोषित औसत आधार मूल्य को 200 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य है । अनुबंध-2 के पैरा-3 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि तदनुसार जोड़ी जाएगी :—

3-क "चंदन की लकड़ी से बने हस्तशिल्प के मामले में निर्यातक को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा कि चंदन की लकड़ी से बने हस्तशिल्प का जोड़ा हुआ मूल्य समय-समय पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा चन्दन की लकड़ी के प्रति मी टन के घोषित औसत आधार मूल्य के 200 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य है ।"

3. यह भी निश्चय किया गया है कि चन्दन की लकड़ी के बेकार चिप्स आकृति के होने चाहिए उनका आकार 7.5 से.मी. ×0.65 से.मी. ×0.65 से.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए । तदनुसार, आयात-निर्यात नीति, 1984-85 (जिल्द-2) के अनुबन्ध-2 की वर्तमान कंडिका-4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

4. "डस्ट, चिप्स, फ्लेक्स और पाउडर के रूप में चन्दन की लकड़ी खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन स्वतंत्र

रूप से अनुमेय होगी । लेकिन, चिप्स बेढ़ंगे आकृति के होंगे और 7.5 से.मी. ×0.65 से. मी. ×0.65 से. मी. से अधिक आकार के नहीं होंगे ।"

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

PUBLIC NOTICE No. 23-ETC(PN)/84

New Delhi, the 14th September, 1984

Subject :—Export of Handicraft and Chips made of Sandal Wood.

File No. 6/10/84-E I.—Attention is invited to Annexure II to Import and Export Policy April, 1984—March, 1985, Volume II laying down export policy of wood and timber.

2. It has been decided that in the case of export of Handicrafts made of Sandal wood, the exporters shall be required to obtain a certificate from the Regional Officer of the All India Handicrafts Board to the effect that the value addition of handicrafts made of sandal wood is a minimum of 200% of the average base price of sandal wood per M.T. announced by the Development Commissioner (Handicrafts) from time to time. The following entry shall accordingly be inserted in Annexure II, after Para 3:—

3A "In the case of export of Handicrafts made of Sandal wood, the exporters shall be required to obtain a certificate from the Regional Officer of the All India Handicrafts Board to the effect that the value addition of Handicrafts made of sandal wood is a minimum of 200 per cent of the average base price of sandal wood per M.T. announced by the Development Commissioner (Handicrafts) from time to time".

3. It has also been decided that Sandal wood chips should be of irregular shape and of the size not exceeding 7.5 cm×0.65 cm×0.65 cm. Accordingly, existing Para 4 of Annexure II of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol. II) shall be substituted by the following :—

4. "Sandal wood in the form of dust, chips, or powder will be allowed freely under OGL-3. However, the chips shall be of irregular shape and of the size not exceeding 7.5 cm×0.65 cm×0.65 cm".

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984